केकेड/एसव फर्म 19/11 2017/00056

11-6-18 आज यह पत्रावली श्रीमान् लोक अधिवक्ता अथवा सेवा केन्द्र गढ़ी-चंदेला पर पेश हुई। वादी केवेट व जैलोपन रमेश उप० व्यास्त्र उ०१७ व भगवंत वावजुड लाणि उप० उपस्थित पक्षकारों को सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया। प्रकरण में अभियुक्त नियोक्ता जाती अपना उपस्थित नहीं कराया है। अतः श्रीमान् पत्र 312 RT Act के अन्तर्गत भेजा जाता है। पत्रावली के मूलचुगा होकर मूल वाद की पत्रावली के साथ संलग्न रहे।

रमेश
केवेट

Web Copy - Not Official